न्यायालय सहायक कलक्टर, दीगोद (कोटा)

नवान संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
)6/19	09.09.2019	22/11/2019

ठासीन अधिकारी – जबर सिंह (R.A.S.)

उनवान

कमला बाई पुत्री किशोर पत्नी तुलसीराम जाति कुम्हार निवासी मदनपुरा तहसील दीगोद हाल निवासी बडोद तहसील दीगोद जिला कोटा

–वादनी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

–प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88–89 आर0टी0एक्ट

उपस्थित– श्री अनिल खण्डेलवाल एडवोकेट वादीगण की ओर से

निर्णय

वादनी ने वाद विरूद्ध प्रतिवादी अन्तर्गत धारा 88–89 आरटीएक्ट, इस कथन के साथ पेश किया कि ग्राम मदनपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा में ख0नं0 71 रकबा 0.06 हे0, ख0नं0 89 रकबा 0.13 हे0, ख0नं0 268 रकबा 0.68 हे0, ख0नं0 337 रकबा 0.94 हे0, ख0नं0 479 रकबा 1.85 हे0, ख0नं0 483 रकबा 0.11 हे0, ख0नं0 513 रकबा 0.41 हे0, ख0नं0 514 रकबा 1.23 हे0, ख0नं 515 रकबा 1.17 हे0, ख0नं0 516 रकबा 0.75 हे0, ख0नं0 517 रकबा 1.54 हे0, ख0नं0 525/553 रकबा 0.24 हे0 कुल किता 12 रकबा 9.11 हे0 भूमि वादनी एवं अन्य की खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। वादनी का नाम उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में कमली दर्ज जो कि वादनी का वास्तविक नाम नहीं है जबकि वादनी का वास्तविक नाम कमला बाई है तथा वादनी को कमला बाई के नाम से ही जाना जाता है। वादनीके पिता की मृत्यु के उपरान्त वादनी का नाम दर्ज करते समय सहवन से वादनी का नाम कमला बाई के स्थान पर कमली दर्ज कर दिया गया जो कि गलत है। वादनी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में कमली दर्ज होनें एवं वादनी के पहचान के दस्तावेजों राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पेन कार्ड, भामाशाह कार्ड आदि में कमला बाई दर्ज है। इस कारण वादनी का नाम कमली के स्थान पर कमला बाई दर्ज किया जाना आवश्यक है। वाद कारण दिनांक 30.08.2019 को वादनी द्वारा प्रतिवादी से मौखिक निवेदन करनें एवं उनके द्वारा इंकार करनें पर उत्पन्न हुआ।

Scanned by CamScanner

वाद पेश कर वादनी ने निवेदन किया है कि वादनी के पक्ष में प्रतिवादी के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावें कि– ग्राम मदनपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा स्थित ख0नं0 71 रकबा 0.06 है0, ख0नं0 89 रकबा 0.13 है0, ख0नं0 268 रकबा 0.68 है0, ख0नं0 337 रकबा 0.94 है0, ख0नं0 479 रकबा 1.85 है0, ख0नं0 483 रकबा 0.11 है0, ख0नं0 513 रकबा 0.41 है0, ख0नं0 514 रकबा 1.23 है0, ख0नं 515 रकबा 1.17 है0, ख0नं0 516 रकबा 0.75 है0, ख0नं0 517 रकबा 1.54 है0, ख0नं0 525/553 रकबा 0.24 है0 कुल किता 12 रकबा 9.11 है0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादनी का नाम कमली के स्थान पर कमला बाई दर्ज किये जानें व राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती किये जानें की आज्ञा व डिक्री पारित की जावें। प्रतिवादी को आदेशित किया जावें कि वे उपरोक्त प्रकार से राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट न्यायालय को भिजवावें। अन्य सहायता हो वह भी वादनी को प्रदान की जावें।

दस्तावेजी साक्ष्य में वादनी की ओर से निम्न दस्तावेजात् प्रस्तुत किये–

1. प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम मदनपुरा सं0 2071–74 खाता नं0 91
2. तस्दीक प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत मदनपुरा दिनांक 03.09.2019
3. छायाप्रति आधार कार्ड कमला बाई पत्नी तुलसीराम
4. छायाप्रति मतदाता पहचान पत्र कमला बाई पत्नी तुलसीराम
5. छायाप्रति भामाशाह कार्ड कमला बाई पत्नी तुलसीराम
6. छायाप्रति पैनकार्ड कमला बाई पत्नी तुलसीराम
7. छायाप्रति राशन कार्ड तुलसीराम

वाद वादनी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी हेतु सम्मन् जारी किये गये। प्रतिवादी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद की ओर से प्रकरण में जवाब प्रस्तुत हुआ जो शामिल मिसल है।

हमनें उभय पक्ष को अपने–अपने साक्ष्य सहादत आदि प्रस्तुत करने के पर्याप्त एवं युक्तियुक्त अवसर दिये तथा बाद साक्ष्य हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कादि पर विचार किया। बाद बहस पत्रावली का आद्योपान्त गहन मनन अवलोकन किया। वादगत भूमि वाके ग्राम मदनपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा स्थित ख0नं0 71 रकबा 0.06 है0, ख0नं0 89 रकबा 0.13 है0, ख0नं0 268 रकबा 0.68 है0, ख0नं0 337 रकबा 0.94 है0, ख0नं0 479 रकबा 1.85 है0, ख0नं0 483 रकबा 0.11 है0, ख0नं0 513 रकबा 0.41 है0, ख0नं0 514 रकबा 1.23 है0, ख0नं 515 रकबा 1.17 है0, ख0नं0 516 रकबा 0.75 है0, ख0नं0 517 रकबा 1.54 है0, ख0नं0 525/553 रकबा 0.24 है0 कुल किता 12 रकबा 9.11 है0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादनी का नाम कमली के स्थान पर कमला बाई दर्ज किये जानें की रिलीफ चाही है। जिसके सम्बन्ध में वादनी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज छायाप्रति आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पेन कार्ड, भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड, ग्राम पंचायत मदनपुरा द्वारा जारी तस्दीक प्रमाण पत्र के अनुसार वादनी का नाम कमला बाई होना प्रकट होता है। प्रकरण में

Scanned by CamScanner

विवादित भूमि के सहखातेदार सुरेश कुमार पुत्र छीताबाई पत्नी गोपाल एवं वादनी के पुत्र राजेन्द्र कुमार पुत्र तुलसीराम ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर वादनी का नाम दुरूस्त करनें की सहमति प्रकट की है। वादनी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात्, शपथ पत्र, ग्राम पंचायत मदनपुरा द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अवलोकन से वादनी का नाम कमला बाई होना जाहिर होता है। जिससे वादनी का नाम विवादित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्तनीय है।

परिणामतः वाद वादनी स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि विवादित आराजी वाके ग्राम मदनपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा स्थित ख0नं0 71 रकबा 0.06 हे0, ख0नं0 89 रकबा 0.13 हे0, ख0नं0 268 रकबा 0.68 हे0, ख0नं0 337 रकबा 0.94 हे0, ख0नं0 479 रकबा 1.85 हे0, ख0नं0 483 रकबा 0.11 हे0, ख0नं0 513 रकबा 0.41 हे0, ख0नं0 514 रकबा 1.23 हे0, ख0नं 515 रकबा 1.17 हे0, ख0नं0 516 रकबा 0.75 हे0, ख0नं0 517 रकबा 1.54 हे0, ख0नं0 525/553 रकबा 0.24 हे0 कुल किता 12 रकबा 9.11 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नाम कमली पुत्री किशोर के स्थान पर कमला बाई उर्फ कमली पुत्री किशोर अंकित किया जावें, शेष यथावत् रहेगा। तद्नुसार डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनॉक 28/11 /2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(जबर सिंह)
सहायक कलक्टर,
दीगोद

Scanned by CamScanner

संशोधित अंतिम डिक्री मुकदमा

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा

उनवान

कमला बाई पुत्री किशोर पत्नी तुलसीराम जाति कुम्हार निवासी मदनपुरा तहसील दीगोद हाल निवासी बडोद तहसील दीगोद जिला कोटा

–वादनी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

–प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88–89 आर0टी0एक्ट

मिसल नम्बर–106/19

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू मुझ जबर सिंह आर.ए.एस. बहाजिरी श्री अनिल खण्डेलवाल एडवोकेट मिनजानिब मुददई रुबरु मिनजानिब मुददालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि "वाद वादनी स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि विवादित आराजी वाके ग्राम मदनपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा स्थित ख0नं0 71 रकबा 0.06 हे0, ख0नं0 89 रकबा 0.13 हे0, ख0नं0 268 रकबा 0.68 हे0, ख0नं0 337 रकबा 0.94 हे0, ख0नं0 479 रकबा 1.85 हे0, ख0नं0 483 रकबा 0.11 हे0, ख0नं0 513 रकबा 0.41 हे0, ख0नं0 514 रकबा 1.23 हे0, ख0नं 515 रकबा 1.17 हे0, ख0नं0 516 रकबा 0.75 हे0, ख0नं0 517 रकबा 1.54 हे0, ख0नं0 525/553 रकबा 0.24 हे0 कुल किता 12 रकबा 9.11 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नाम कमली पुत्री किशोर के स्थान पर कमला बाई उर्फ कमली पुत्री किशोर अंकित किया जावें, शेष यथावत् रहेगा।" तदनुसार अंतिम डिकी जारी की जाती है। मेरे दस्तख्त व मोहर अदालत से आज दिनांक 22/11/2019 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0

Scanned by CamScanner

बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगे।

(जबर सिंह)
सहायक कलक्टर,
दीगोद

Scanned by CamScanner